तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज संजय कुमार बनाम गुमानकंवर आदि मुकदमा नंबर 230/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
15.10.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। बहस प्रार्थना पत्र आदेश 23 सीपीसी पर उभयपक्षकारान सुनी गई। वादी/ प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि उपरोक्त अनुवानी दावा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। रेवेन्यू रिकार्ड यानि जमाबन्दी से दर्ज खातेदारो के बिरूद्ध ही अनुतोष चाहा था। वादी को प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से जानकारी हुई कि प्रतिवादी कालूसिंह का देहान्त हो चूका है, परन्तु खातेदारी अभी तक कालूसिंह के नाम से ही चली आ रही है। वादी इस दावा को विड्रो करके पुनः सम्बन्धित पक्षकारों को पक्षकार बनाकर दावा प्रस्तुत करना चाहता है एवं वादी को पुनः दावा आवश्यक कानूनी कार्यवाहियो को करने की अनुमति के साथ यह दावा विड्रो करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त वी.राजेन्द्रन वगै. बनाम अन्नास्वामी पाण्डियन सिविल अपील नंबर 861 ऑफ 2017 निर्णय दिनांक जनवरी 24, 2017 पेश की गई। प्रतिवादी/ अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि वादी ने मृत व्यक्ति के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया इस पर प्रतिवादी पक्ष द्वारा आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी व आदेश 22 नियम 4, 9 सी.पी.सी प्रस्तुत किया। वादी का दावा अबेट हो चूका है। वादी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश होने पर लगा कि उसका दावा खारिज हो सकता है तो वादी ने नया दावा पेश करने की अनुमति प्राप्त करने के आधार पर हस्तगत दावा विड्रो करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया हस्तगत दावा कानूनी नुक्स से ग्रसित है जहां वादी का दावा प्रथमतः ही चलने योग्य ना हो वहां आदेश 23 सीपीसी के तहत नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हस्तगत दावा वादी क्यो विड्रो करना चाहता है और क्यों नया दावा प्रस्तुत करना चाहता है वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया। वादी द्वारा दावा विड्रा करने का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व वेग आधारों पर प्रस्तुत किया गया है इसलिए ... खारिज है। वाद प्रत्याहरण की अनुमति प्रतिपक्षी ... एवं ... अन्य वाद का सामान करने हेतु ... करेगा एवं वादी/ प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। अपनी बहस के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच के न्यायिक दृष्टान्त 2008(1)डीएनजे (राज.) 277 देवन्द्र सिंह बनाम एडीजे फास्ट ट्रेक नंबर 7 जयपुर सिटी, जयपुर व माननीय	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2003(2)राज. महादेवोजी चन्द्ररस्वराजी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदि पेश की गई।

प्रकरण में विश्लेषण से पूर्ण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 23 नियम 1 का अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है।

वादों का प्रत्याहरण और समायोजन

1. वाद का प्रत्याहरण या दावे के भाग का परित्याग – (1) वाद संस्थित किए जाने के पश्चात किसी भी समय वादी सभी प्रतिवादियों या उनमें से किसी के विरुद्ध अपने वाद का परित्याग या अपने दावे के भाग का परित्याग कर सकेगा–

परन्तु जहाँ वादी अवयस्क है या ऐसा व्यक्ति है, जिसे आदेश 32 के नियम 1 से नियम 14 तक के उपबंध लागू होते हैं. वहाँ न्यायालय की इजाजत बिना न तो वाद का और न दावे के किसी भाग का परित्याग किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के परन्तुक के अधीन इजाजत के लिए आवेदन के साथ वाद–मित्र को शपथ–पत्र देना होगा और यदि अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा किया जाता है तो, प्लीडर को इस आशय का प्रमाण–पत्र भी देना होगा कि प्रस्थापित परित्याग उसकी राय में अवयस्क या ऐसे अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए है।

(3) जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि–

(क) वाद किसी प्ररूपिक त्रुटि के कारण विफल हो जाएगा, अथवा

(ख) वाद की विषय–वस्तु या दावे के भाग के लिए नया वाद संस्थित करने के लिए वादी को अनुज्ञात करने के पर्याप्त आधार हैं,

वहाँ वह ऐसे निबन्धनों पर जिन्हें वह ठीक समझे, वादी को ऐसे वाद की विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के सम्बन्ध में नया वाद संस्थित करने की स्वतंत्रता रखते हुए ऐसे वाद से या दावे के ऐसे भाग से अपने को प्रत्याहृत करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(4) जहाँ वादी, –

(क) उपनियम (1) के अधीन किसी वाद का या दावे के भाग का परित्याग करता है, अथवा

(ख) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना वाद से या दावे के भाग से प्रत्याहृत कर लेता है,

वहाँ वह ऐसे खर्चे के लिए दायी होगा जो न्यायालय अधिनिर्णीत करे और वह ऐसी विषय–वस्तु या दावे के ऐसे भाग के बारे में कोई नया वाद संस्थित करने से प्रवारित होगा।

(5) इस नियम की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह न्यायालय को अनेक वादियों में से एक वादी को उपनियम (1) के अधीन वाद या दावे के किसी भाग का परित्याग करने या किसी वाद या दावे का अन्य वादियों की सहमति के बिना उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण करने की अनुज्ञा देने के लिए प्राधिकृत करती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:09 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अनुवानी दावा वादी द्वारा रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज खातेदारो के विरूद्ध प्रस्तुत किया था। प्रतिवादी/अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित आदेश 22 नियम 4,9 व धारा 151 सीपीसी से ही वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी कालूसिंह का देहान्त हो चूका है,परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अभी तक कालूसिंह के नाम से ही चली आ रही है। रेवेन्यू रिकार्ड यानि जमाबन्दी में द्रर्ज खातेदारो के विरूद्ध ही वाद में अनुतोष चाहा गया था। लिहाजा न्यायहित में वादी को कोस्ट राशि 2000/रूपये पर पुनः वाद पेश करनें की अनुमति के साथ इस वाद को विड्रो करनें की अनुमति प्रदान की जाती है। कोस्ट राशि वादी प्रतिवादीगण को अदा करें। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:17:09 IST
Reason: SelfAttested